

28.02.2022

## प्रेस विज्ञप्ति

### ईसीजीसी- रूस की देश जोखिम समीक्षा

- विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में यह बताया गया है कि ईसीजीसी द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से रूस के साथ निर्यात लेनदेन पर अपनी रक्षा को वापस ले लिया गया है जोकि तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- यह स्पष्ट किया जाता है की रूस को निर्यात लेनदेन पर ईसीजीसी द्वारा रक्षा को वापस नहीं लिया गया है।
- ईसीजीसी नें वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी हामीदारी नीति के अनुसार रूस की देश जोखिम रेटिंग की समीक्षा की। तदनुसार, 25.02.2022 से, रूस की कवर श्रेणी को खुले कवर से प्रतिबंधित कवर श्रेणी- I (RCC-I) में संशोधित किया गया है, जिसके लिए परिक्रामी सीमाएं (सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए वैध) विशेष रूप से मामले के आधार पर अनुमोदित की जाती हैं।
- ईसीजीसी द्वारा, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 25.02.2022 को अपनी प्रचलित हामीदारी पॉलिसी के अनुसार रूस की देश जोखिम रेटिंग की समीक्षा की गई। रूस की रक्षा श्रेणी को संशोधित कर खुली रक्षा से प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-I (आर सी सी -I) किया गया है जिससे अपने ग्राहकों को जारी किए गए निर्यात ऋण बीमा पॉलिसी रक्षा के तहत उन्हें हानि कम करने के उपाय अपनाने में सुविधा हो।
- आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि ईसीजीसी अपनी निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों के तहत आने वाले जोखिमों का आकलन और निगरानी करने और उचित जोखिम कम करने के उपाय करने में सक्षम है। उपरोक्त उपाय भारत में निर्यातकों/बैंकों को रूस में खरीदारों और/या बैंकों से निर्यात भुगतान प्राप्ति की संभावनाओं का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।
- ग्राहकों को रूस को लदान पर कवर के लिए ईसीजीसी की अपनी सर्विसिंग शाखा से संपर्क करने की उपयुक्त सलाह दी गई है।
- ईसीजीसी स्थिति की निगरानी करना जारी रखे हुए है और भविष्य की घटनाओं के आधार पर हामीदारी नीति की आगे की समीक्षा की जाएगी।

----- दस्तावेज़ समाप्त-----

28.02.2022

**Press Release**

**ECGC - Country Risk Review of Russia**

- It has been reported in various media reports that ECGC has withdrawn its cover on the export transactions to Russia vide its circular dated 25.02.2022, which is factually incorrect.
- It is clarified that the coverage on export transactions to Russia has not been withdrawn by ECGC.
- In view of the prevailing situation, ECGC carried out a review of the country risk rating of Russia as per its extant underwriting policy. Accordingly, with effect from 25.02.2022, the cover category of Russia has been modified from Open Cover to Restricted Cover Category – I (RCC-I) for which revolving limits (normally valid for a year) are approved specifically on a case-to-case basis.
- It is further clarified that this change has been made to ensure that ECGC is able to assess and monitor the risks covered under its export credit insurance policies and to place appropriate risk mitigation measures. The above measure will also enable the exporters / banks in India in assessing the export payment realization prospects from buyers and/or banks in Russia.
- The customers have been suitably advised to contact their servicing branch of ECGC for cover on shipments to Russia.
- ECGC continues to monitor the situation and further review of the underwriting policy will be undertaken based on future developments.

----- End of Document -----